20/12/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी ने विपक्षीगण के समक्ष डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गयी। विपक्षीगण1 लगायत विपक्षीगण को कोई समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी से बहस सुनी गई/ आदेश अलग से लिखवाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.23 10:08:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

[illegible] : 197 / 2022 (GCMS No. 2022/349)

[illegible] :—

सीतादेवी पत्नी मोडूराम
कौम पुरोहित निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. उदाराम वल्द भेराराम
2. पूनमाराम वल्द भेराराम
3. पांचाराम वल्द तुलछाराम
4. मांगाराम वल्द पांचाराम
5. खंगाराराम वल्द मदरूपाराम
   कौम कलबी साकिन सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
6. पोकराराम वल्द रतनाराम
7. पूनमाराम वल्द रतनाराम
   कौम जाट साकिन सोढों की ढाणी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी
8. अमराराम वल्द पेमाराम कौम विश्नोई निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
9. कुम्भाराम वल्द दानाराम
10. खुशालाराम वल्द बनाराम
11. जगराम वल्द मावाराम
12. जमना पत्नी मावाराम
13. नाथाराम वल्द दानाराम
14. पाताराम वल्द हरजी
15. बादली पत्नी दानाराम
16. बाबूराम वल्द हरजी
17. मेघाराम वल्द बनाराम
18. मोडाराम वल्द बनाराम
19. मोडाराम वल्द हरजी
20. रणछाराम वल्द दानाराम
21. शंकरलाल पुत्र मावाराम कौम भांभी (मेघवाल)
    सकिन सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकतरफा — विप्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 20.12.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के खिलाफ बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.23 10:08:15 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर प्रार्थीगण [illegible] बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन अध्ययन [illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आ[illegible] जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी रा[illegible] के खेत खसरा नम्बर 360, 360/3 रकबा क्रमशः 1.1169, 1.052[illegible] हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति** में सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 360, 360/3 रकबा क्रमशः 1.1169, 1.0522 हैक्टेयर हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20/12/22 को मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.23 10:08:15 IST
Reason: SelfAttested